प्रतिलिपि आदेश दिनांक 22-5-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे
सदस्य राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर प्र०क्र० निग० 1513-तीन/14
विरुद्ध आदेश दिनांक 3-5-14 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग
रीवा प्रकरण क्रमांक 432/अपील/13-14.

सुरेश सिंह तनय श्री उर्मिला सिंह
निवासी ग्राम भोलगढ़ तहसील हजूर
जिला रीवा म०प्र० --- आवेदक

विरुद्ध

सुमित्रा सिंह पत्नी अनिरुद्ध सिंह
निवासी ग्राम डिहिया तहसील
हजूर जिला रीवा --- अनावेदक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1513/ III/14 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22.5.14	यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 432/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 3-5-14 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक एंव केबिएटकर्ता अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क यह है कि महिला सुमित्रा सिंह अनावेदक ने नायव तहसीलदार सर्किल बनकुईया तहसील हुजूर के न्यायालय में नामांत्रण/बटवारा हेतु आवेदन दिया एंव नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 21 अ 27/12-13 में पारित आदेश दिनांक 31-12-12 से बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्व भूधारक मणिराज सिंह ने अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के समक्ष अपील की जो प्रकरण कमांक 48 अ 27/12-13 पर दर्ज हुई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 3-6-13 से अपील निरस्त कर दी। मणिराज सिंह की दिनांक 23-2-14 को मृत्यु हुई है, किन्तु आवेदक के अभिभाषक यह नहीं बता सके कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 3-6-13 के विरूद्व मणिराज सिंह ने सक्षम न्यायालय में अपील/निगरानी की है अथवा नहीं, अपितु अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के अपील प्रकरण कमांक 48 अ 27/12-13 में पारित आदेश दिनांक 3-6-13 के	

22/5

आदेश दिनांक 3–6–13 के विरूद्व पक्षकार मानकर अपील करने की अनुमति न देने में अपर आयुक्त रीवा व्दारा किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । बसीयत के आधार पर आवेदक वादोक्त भूमि में वह अपना स्वत्व होना बता रहा है , स्वत्व के विवाद का निराकरण करने की शक्तियाँ राजस्व न्यायालय को प्राप्त न होने से अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 432/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 3–5–14 विधिवत् होना पाया गया है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

सदस्य